UPMO010045032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0)

J.O. Code–UP 1895

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1227/2026</u>

1. राजेन्द्र सिंह उम्र लगभग 58 वर्ष पुत्र स्व0 किशोरी सिंह,

2. नरायण सिंह उम्र लगभग 53 वर्ष पुत्र स्व0 किशोरी सिंह,

निवासीगण ग्राम अदलपुर, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद।

–––––––आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

2. जगराम सिंह पुत्र पृथी सिंह, निवासी ग्राम अदलपुर, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद। ––––––––––––––अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–37/2026,
धारा–115(2), 352, 351(3),
109 बी0एन0एस0,
थाना–डिलारी, जिला मुरादाबाद।

<u>27.04.2026</u>

1– अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) उपस्थित।

2– प्रार्थी/अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह व नरायण सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–37/2026, धारा–115(2), 352, 351(3), 109 बी0एन0एस0, थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद, के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वादी मुकदमा जगराम सिंह द्वारा दिनांक 15.03.2026 को समय 10:55 बजे थाना डिलारी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी कि प्रार्थी जगराम सिंह पुत्र पृथी सिंह निवासी ग्राम अदलपुर थाना डिलारी जिला मुरादाबाद का स्थाई निवासी

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.04.27 17:36:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। घटना दिनांक 12.03.2026 के समय करीब सांय 6 बजे की है। उसने अपनी गांव के पास स्थित जमीन पर जाकर देखा, तो उसके खेत की मेढ़ को नरायन व राजेन्द्र सिंह पुत्रगण किशोरी सिंह व कार्तिक पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अदलपुर ने काट दी थी। वादी ने मेढ़ को सही करने की कोशिश की, तो नरायन व राजेन्द्र सिंह पुत्रगण किशोर सिंह व कार्तिक पुत्र राजेन्द्र सिंह ने वादी के साथ गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी देते हुये जान से मारने की नीयत से पीछे से फावड़े व लाठी से सिर पर वार किया। वादी ने अपना सिर बचाया, तो उसके कन्धे पर लगा, नहीं तो उसे, ये लोग मौके पर ही जान से मार देते। वादी की पत्नी राजवाला व पुत्रवधु किरन पत्नी स्वर्गीय राहुल कुमार उसे लेकर थाने आये थे। उसका मेडिकल सरकारी अस्पताल डिलारी से हुआ था। ये लोग दबंग व हेकड़ किस्म के व्यक्ति हैं। वादी के उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण नरायन, राजेन्द्र सिंह व कार्तिक के विरूद्ध उक्त मुकदमा अन्तर्गत धारा– 115(2), 352, 351(3), 109 बी0 एन 0 एस 0 में पंजीकृत किया गया।

4– पक्षों को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि, प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को रंजिश झूठा फंसाया गया है। ऐसी कोई घटना प्रार्थीगण द्वारा कारित नहीं की गयी है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। वादी, प्रार्थीगण के पारिवारिक हैं और उन्हें पुलिस से पकड़वा कर अपमानित कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण अपना पक्ष पुलिस में रखना चाहते हैं, जिस कारण अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। थाना हाजा की पुलिस प्रार्थीगण को गिरफ्तार कर बेइज़्ज़त करना चाहती है। प्रार्थीगण जाँच अधिकारी की विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा विवेचक द्वारा जब भी पूछताछ के लिये बुलाया जायेगा, तब–तब प्रार्थीगण विवेचक के समक्ष उपस्थित रहेंगे और जाँच में पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रार्थीगण साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगें। प्रार्थीगण सम्भ्रान्त व्यक्ति हैं और उनके फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आशंका दर्शाते हुये, अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि

व्यवस्था पी0 चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रि0 मि0 अपील नं0– 1340/2019 निर्णीत दिनांक 09.09.2019 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए, जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

8– इसके अतिरिक्त सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ दहली) एवं अन्य, ए.आई.आर. ऑनलाइन 2020 एस.सी. पृष्ठ 74 में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषसिद्धि आदि , आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा 34 व धारा 149 भा0 द 0 सं0 की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

9– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी /अभियुक्तगण पर, वादी मुकदमा को गाली गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने तथा जान से मारने की नीयत से फावड़ा व लाठी से चोटे पहुँचाने के आरोप हैं। प्रश्नगत घटना में वादी मुकदमा/मजरूब जगराम सिंह की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर चार चोटें आना दर्शित है। डॉक्टर द्वारा मजरूब की पूरक चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर की चोट सं०–03 को गम्भीर प्रकृति की चोट होना अभिलिखित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्तगण कोई भी ऐसा ठोस आधार दर्शित करने में असफल रहे हैं, जिससे उनकी प्रश्नगत मामले में संलिप्तता आधारहीन एवं फर्जी प्रतीत होती हो। प्रार्थी/अभियुक्तगण की प्रश्नगत मामले में भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गंभीरता, जिसमें आजीवन कारावास तक का दण्ड प्रावधानित है। इस प्रकार प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये

प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह व नरायण सिंह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–37/2026, धारा–115(2), 352, 351(3), 109 बी0 एन 0 एस 0 , थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद, के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

स्टेनो– अंकित कुमार

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
27.04.2026